

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म 07/2/22	403 2020	केलाशचन्द्र रामप्राय हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
------------------------	-------------	--	--

07/2/22

गार्गी/ कृपीलादेव द्वारा प्रस्तुत गार्गीना पत्र
 बाबत नलब किये जाने पत्रावली पर
 ज्ञाप यह पत्रावली काजलिम से तलब
 होकर पेश हुई। गार्गी/ कृपीलादेव ने
 अपने इतिहास के साथ उपाय-विधि
 होकर गार्गीना पत्र बाबत विद्वा किये
 जाने कृपील-पेश करते हुये निवेदन
 किया कि परकारान के मध्य शर्जीनामा
 हो गया है जिससे कृपीलादेव कृपीली
 इस कृपील को आगे चलाना नहीं
 चाहता है एवम् कृपील विद्वा करना
 चाहता है। अतः कृपील विद्वा के आदेश
 पदान करे। चूंकी कृपीलादेव कृपीली
 इस कृपील को आगे चलाना
 नहीं चाहता है एवम् कृपील विद्वा
 करना चाहता है। अतः कृपील कृपीलादेव
 विद्वा किये जाने से रवारिद की
 जाती है। तदनुसार पत्रावली कैसल
 सुमार होकर बाड तदमील टाखिल
 इक्तर हो। आदेश शुले न्यायालय
 में सुनाया गया।

Om
 Daktar
 (दलीपसुमार)
 15



J. P. Singh
 राजस्व अपील प्राधिकारी
 जयपुर